

झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्क गैर-पार्टी के आधार पर चर्चा में क्यों?

21 जून, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत झारखंड में मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं, बल्क गैर-पार्टी के आधार पर होगा।

प्रमुख बटि

- बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी। हालाँकि मंदार उप-चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के चलते कैबिनेट के फैसलों पर प्रेसवार्ता नहीं हुई।
- लेकनि सूत्रों ने बताया कसिबसे अहम प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को लेकर आया है, जसि मंजूरी मलि गई है। वही, डपिटी मेयर का चुनाव नहीं होगा, लेकनि नगर नगिम और नगर नकियों के पार्षद मलिकर डपिटी मेयर का चुनाव करेंगे। इस संबंध में लाए गए नयिमों पर कैबिनेट की मंजूरी मलि गई है।
- बैठक में पुलसि नयिकृतनयिमों में भी संशोधन कयिा गया, जसिके तहत अब उम्मीदवारों को पहले दौड़ पूरी करनी होगी, उसके बाद ही उनकी लखिति परीक्षा होगी।